280

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक...../2017 R 247-I-17

आवेदक- दीनदयाल सिंह वल्द सुर्दशन सिंह
निवासी बरगंवा तहसील बड़वारा, जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण/निगरानी आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ-21/2016-17, में पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम बडवारा तह0 बड़वारा जिला कटनी का स्थाई निवासी है तथा शासकीय विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत् है।
2. यह कि, आवेदक के द्वारा ग्राम बड़वारा प0ह0नं0 09, तह0 बड़वारा, जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 152/2 कुलरकवा 0.30 हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो कि आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है तथा उसके उपयोग की भूमि नही है जिससे आवेदक को कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। साथ ही आवेदक उक्त भूमि को बेचकर बैंक से ऋण के रूप में ली गई राशि को चुकता करेगा जिस हेतु वह ग्राम बड़वारा प0ह0नं0 09, तह0 बड़वारा, जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 152/2 कुलरकवा 0.30 हे. भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने बाबत् विधिवत आवेदनपत्र माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. यह कि, आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम बरगवां, परना, बजरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी में कुल 9.97 हे0 भूमि शामिल सरीक में स्थित है। तथा ग्राम बरगंवा में 1.03 हे0 भूमि आवेदक के स्वयं के नाम पर दर्ज है स्थित है। इसप्रकार आवेदक के पास आवेदित भूमि के विक्रय उपरांत पर्याप्त शेष भूमि बचती है। जो उसके परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है। तथा आवेदक शासकीय कर्मचारी भी है।
4. यह कि, आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय के समक्ष विधिवत् आवेदन पत्र दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक क्रमांक 02/अ-21/2016-17, के रूप में दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा से जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा द्वारा तहसीलदार बड़वारा, को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा गया।
5. यह कि, तहसीलदार बड़वारा ने उक्त भूमि के संबंधित ग्राम में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया समय सीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा संबंधित हल्का पटवारी से आवेदित भूमि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन लिया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/247/एक/2017 जिला-कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.1.17	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 02/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 1– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई की, ग्राम–**बड़वारा** प0ह0नं0 09, रा0नि0मं0–बड़वारा, तहसील बडवारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **152/2** कुल रकवा **0.30** हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई है तथा आवेदक के स्थाई निवास से दूर स्थित है एवं आवेदक शासकीय कर्मचारी होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है, बेचकर आवेदक के पैत्रिक निवास के पास स्थित ग्राम **बरगवां**, ग्राम–**परना, ग्राम बजरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी** की भूमि जिनमें से कुछ भूमियां आवेदक के शामिल सरीक की भूमि कुलरकवा **9.97** हे0 भूमि पर उन्नत कृषि कार्य करेगा जिस हेतु वह ग्राम–**बड़वारा** प0ह0नं0 09, रा0नि0मं0–बड़वारा, तहसील बडवारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **152/2** कुल रकवा **0.30** हे0 भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबध्द कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी/बड़वारा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान नही की गई ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के	

पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र अवलोकन किया गया आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि आवेदक के द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई है, शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है, एवं प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम **बरगवां**, ग्राम—**परना, ग्राम बजरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी** की भूमि जिनमें से कुछ भूमियां आवेदक के शामिल सरीक की भूमि भी शामिल है कुलरकवा **9.97** हे0 भूमियां शेष बचती है, आवेदित भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदक भूमिहीन नहीं होगा तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी उससे आवेदक बैंक से लिये गये ऋण को चुकता करेगा एवं वह उपरोक्त भूमियों को और अधिक कृषि उपयोगी बनावेगा जिसका उल्लेख आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र में भी किया है, ऐसी स्थिति में उसे आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपरोक्त भूमि से लाभ के स्थान पर उसे हानि होगी इसलिये आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये, किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दर्शित बिन्दुओं एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन हो जाने के पश्चात् एवं समय सीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति नही दी गई तथा आवेदनपत्र पर सद्भावी विचार नही किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त किया जावे। अन्त में आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रार्थना कर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अनावेदक के अभिभाषक के द्वारा इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के

आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की गई।

3— उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना यह है कि क्या कलेक्टर जिला कटनी ने आदेश पत्रिका दिनांक 10.01.2017 में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् है अथवा नहीं क्योकि जब उक्त प्रकरण में तहसीलदार के यहां जांच हेतु भेजा गया था एवं आवेदित भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच करने के उपरांत पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विक्रय की अनुशंसा सहित वापस भेजा गया, तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति आवेदक को प्रदान क्यों नही की गई क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तव में त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है ।

4— आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम—**बड़वारा** प0ह0नं0 09, रा0नि0मं0—बड़वारा, तहसील बडवारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **152/2** कुल रकवा **0.30** हे0 स्थित भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है। जो आवेदक के स्थानीय निवास से दूर स्थित है अतः वह उक्त भूमि को बेचकर अपने पैत्रिक ग्राम एवं उनके पास के ग्रामों ग्राम **बरगवां**, ग्राम—**परना, ग्राम बजरवारा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी** की भूमि जिनमें से कुछ भूमियां आवेदक के शामिल सरीक की भूमि भी शामिल है कुलरकवा **9.97** हे0भूमियों को और अधित उपजाऊ बनाना चाहता है तथा आवेदक उक्त राशि से बैंक से लिये गये ऋण को भी चुकता करना चाहता है, जिस हेतु आवेदक के द्वारा विक्रेता से समय—समय पर धनराशि भी प्राप्त की जा चुकी है, उक्त भूमियों पर आवेदक कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण—पोषण एवं जीविकोपार्जन अच्छी तरह से करेगा उक्त भूमियों के अतिरिक्त आवेदक शासकीय कर्मचारी भी है जिससे वह अपने परिवार का भरण—पोषण अच्छी तरह से कर सकता है ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति पर सद्भाविक विचार किया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया ।

प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय

करने का पात्र है अथवा नही :–

1– तहसीलदार बडवारा के द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई भूमि है, तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन नही होगा। आवेदक के पास आवेदित भूमि के विक्रय उपरांत उसके भरण–पोषण के लिये कुल **9.97 हे0** जिसमें से कुछ भूमियां आवेदक के नाम शामिल सरीक में दर्ज है शेष बचती है साथ ही आवेदक शासकीय कर्मचारी है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकता है ।

2– हल्का पटवारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि असिंचित भूमि है जो आवेदक के गृहग्राम से दूर स्थित है तथा आवेदक शासकीय कर्मचारी होने के कारण आवेदित भूमि पर कृषि कार्य नही कर पा रहा है जिससे वह आवेदित भूमि उसके लिये घाटे की कृषि भूमि है।

3– प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को, प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है उसे उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्रदान नही की गई है। आवेदक आदिवासी जाति का है, जिसके कारण उसने आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति मांगी है, संहिता की धारा 165 (6) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी आदिवासी जाति का भूमिस्वामी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय से बैंक से लिये गये ऋण को चुकता करने की अपनी आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने विक्रय करने का अनुबंध शासन के निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार किया है, यदि अनुमति प्रदान की जाती है तो उक्त भूमि के विक्रय से शासन के पक्ष में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी, परिणामतः आवेदक को स्वःअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये

जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नही होती है किन्तु कलेक्टर कटनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 02/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम–**बड़वारा** प0ह0नं0 09, रा0नि0मं0–बड़वारा, तहसील बडवारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **152/2** कुल रकवा **0.30** हे0 भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य